



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012026-269659  
CG-DL-E-29012026-269659

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947

No. 68]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 69(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमा सुरक्षा बल, योधक पैरा चिकित्सा कर्मचारिवृन्द भर्ती नियम, 2013 को, जहां तक उनका संबंध भेषजिक (सहायक उप-निरीक्षक-अर्हता-धारी), फिजियोथेरेपिस्ट (सहायक उप-निरीक्षक), प्रयोगशाला तकनीशियन (सहायक उप-निरीक्षक), प्रयोगशाला सहायक/तकनीशियन (हैड कांस्टेबल), कनिष्ठ एक्स-रे सहायक/हैड कांस्टेबल, दंत तकनीशियन (सहायक उप-निरीक्षक), शल्य चिकित्सा कक्ष तकनीशियन (सहायक उप-निरीक्षक), इलेक्ट्रोनिक कार्डियो ग्राफी तकनीशियन (सहायक उप-निरीक्षक), स्टीवर्ड प्रबंधक (हैड कांस्टेबल), विजली मिस्ट्री (हैड कांस्टेबल), नर्सिंग सहायक (हैड कांस्टेबल), वातानुकूलन संयंत्र तकनीशियन (हैड कांस्टेबल) और कांस्टेबल (ड्रेसर) के पदों से है और सीमा सुरक्षा बल, चिकित्सा काडर, समूह 'ग' पद (योधक), भर्ती नियम, 2011 को, जहां तक उनका संबंध कांस्टेबल (मशालची), कांस्टेबल (टेबल ब्वाय), कांस्टेबल (वार्ड ब्वाय/वार्ड गर्ल/आया), कांस्टेबल (कहार) और कांस्टेबल (चपरासी) के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सीमा सुरक्षा बल में पैरा चिकित्सा समूह 'ग' योधक पदों पर भर्ती की पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, पैरा चिकित्सा (समूह 'ग') योधक भर्ती नियम 2026 है।  
 (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना।**— ये नियम इन नियमों के साथ उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पद-संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि।**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **प्रारंभिक गठन।**— इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख से, अनुसूची में उल्लिखित पदों को नियमित आधार पर धारण किए हुए व्यक्तियों को इन नियमों के अधीन नियुक्त माना जाएगा, और उक्त प्रवर्तन से पूर्व इन पदों पर नियमित आधार पर की गई उनकी सेवा को उनकी परिवीक्षा अवधि, वरिष्ठता, पेंशन संबंधी लाभ तथा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु गणना में सम्मिलित किया जाएगा।
6. **प्रोन्नति के लिए चिकित्सक दृष्टया योग्यता।**— (क) योधक कर्मचारीवृन्द के लिए, अनुसूची में शामिल किसी भी ग्रेड, रैंक या पद से अन्य पद पर प्रोन्नति हेतु, व्यक्ति का सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित चिकित्सकीय श्रेणी SHAPE-I होना अनिवार्य होगा।

**(ख) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित मानक :-**

(i) **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए।**— केवल वे ही व्यक्ति, इन नियमों के उपबंध के अधीन अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स की भर्ती के लिए चिकित्सा परीक्षा पर तारीख 20.5.2015 के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश सिद्धान्तों और समय-समय पर उनके पश्चातवर्ती संसोधनों में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सीय और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होंगे।

**(ii) शारीरिक मानक :-**

क्र.सं.	(1)	(2)	ऊंचाई		सीना/छाती	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
(3)	(4)	(5)	(6)			
1	अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग को छोड़कर, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई/छाती।	165 सेमी	155 सेमी	75-80 सेमी	लागू नहीं	
2	न्यूनतम ऊंचाई/छाती सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/ जिलों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी अभ्यर्थियों के लिए सिवाय निम्नलिखित अनुच्छेद में दी गई विशेष परिस्थितियों के, निम्नानुसार होगी।	160 सेमी	148 सेमी	75-80 सेमी	लागू नहीं	
3	उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई/छाती।	155 सेमी	147 सेमी	75-80 सेमी	लागू नहीं	

4	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ज़िलों के सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई/छाती।	158 सेमी	147 सेमी	75-80 सेमी	लागू नहीं
5	गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई/छाती।	162.5 सेमी	152 सेमी	75-80 सेमी	लागू नहीं
6	अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई/छाती।	160 सेमी	150 सेमी	75-80 सेमी	लागू नहीं
7	गोरखा प्रादेशिक प्रशासन के अंतर्गत दार्जिलिंग जिले के तीन उप-मंडल—दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुरसियांग से संबंधित तथा निम्नलिखित “मौज़ों” सहित इन उप-मंडलों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई / छाती के मानक इस प्रकार होंगे :	155 सेमी	150 सेमी	75-80 सेमी	लागू नहीं
	(1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) तंगमोहन (4) बड़ा चेंगा (5) पानीधाटा (6) छोटा आदलपुर (7) पहाड़ू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापटी वन-1 (11) महानदी वन (12) चम्पासारी वन (13) सालबाड़ी छट भाग-2 (14) सीतोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया				
	वजन	ऊंचाई और आयु के अनुपात में			

(ग) सीधे भर्ती किए जाने वाले पद के लिए शारीरिक क्षमता जॉच, लिखित परीक्षा और ट्रेड परीक्षा को अहिंत करना होगा।

**7. निरहता .- वह व्यक्ति .--**

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त काउर में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

परन्तु, कि यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह/शादी उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**8. सेवा का दायित्व .-** इन नियमों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति भारत के किसी भी भाग में या विदेश में सेवा करने के लिए बाध्य होगा।

**9. शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**10. भारत के गैर-नागरिकों की अपात्रता.-** जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसे केंद्रीय सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा।

परंतु इस नियम में निहित कोई भी बात नेपाल या भूटान के नागरिक की बल में नियुक्ति या रोजगार प्रदान करने में बाधक नहीं होगी।

**11. अधिवर्षिता .-** इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा, जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, या केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किए अनुसार अपनी सेवा से सेवा निवृत्त होगा।

परन्तु यह कि जिस व्यक्ति की जन्म तारीख किसी माह की पहली तारीख को है, वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता की निर्धारित आयु से अधिक सेवा का विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

**12. व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।
(1)	(2)	(3)
1. सहायक उप निरीक्षक (मेडिक)।	126*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्चिवीय (योधक)।
वेतन मेट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)। सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	चयन पद।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।		
(10)	प्रोन्नति से।	
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	
(11)	(12)	
<b>प्रोन्नति द्वारा:-</b>  वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में के एसे हैड कान्सटेबल (मेडिक/नर्सिंग सहायक) जिन्होने ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है; और  जिन्होने प्रारंभिक स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-  1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल  2. कमांडेंट : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल  3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी : सदस्य। या चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	
<b>टिप्पणी:-</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब उनकी अर्हक या पात्रता सेवा आवश्यक अवधि से अधिकतम उसकी आधी अवधि या दो वर्ष (जो भी कम हो) से कम न हो,		

<p>तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।</p>		
<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>		
<p style="text-align: center;">(13)</p>		
<p style="text-align: center;">लागू नहीं होता।</p>		
(1)	(2)	(3)
2. हैड कांस्टेबल (मेडिक)।	314*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
<p style="text-align: center;">(10)</p>		
<p style="text-align: center;">प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।</p>		
(11)	<p style="text-align: center;">(12)</p>	
<b>प्रोन्नति द्वारा :</b>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन ग्रेड) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल</li> <li>द्वितीय कमान अधिकारी : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल</li> <li>वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी : सदस्य। सीमा सुरक्षा बल</li> </ol>	
<p>वेतन मेट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) में के ऐसे कांस्टेबल (नर्सिंग सहायक/मेडिक) जिन्होंने ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हता रखते हैं,-</p> <p>(i) छह माह का नर्सिंग सहायक/ मेडिक कोर्स ; और</p> <p>(ii) एडवांस नर्सिंग सहायक या एडवांस मेडिक कोर्स किया हो और सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल नर्सिंग सहायक या मेडिक के रूप में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p><b>टिप्पणी:-</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब उनकी अर्हक या पात्रता सेवा आवश्यक अवधि से अधिकतम उसकी आधी</p>		

अवधि या दो वर्ष (जो भी कम हो) से कम न हो, तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।

#### **प्रतिनियुक्ति/आमेलन :**

(i) सेवा में कार्यरत तथा इच्छुक सीमा सुरक्षा बल के हैड कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी), जो वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500–81100 रु.) में हों, तथा जिन्होंने छह मास का नर्सिंग सहायक/मेडिक कोर्स एवं एडवांस नर्सिंग सहायक/एडवांस मेडिक कोर्स उत्तीर्ण किया हो और बल चिकित्सालय में नर्सिंग सहायक के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव रखते हों; या

(ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर-3 (21700–69100 रु.) में के ऐसे कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी), जिन्होंने कम से कम पाँच वर्ष की सेवा की है और छह मास का नर्सिंग सहायक या मेडिक कोर्स तथा एडवांस नर्सिंग सहायक या एडवांस मेडिक कोर्स उत्तीर्ण किया हो, तथा बल चिकित्सालय में नर्सिंग सहायक के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव रखते हों; या

**प्रतिनियुक्ति :** केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद पर नियमित आधार पर धारण करते हों ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-3 (21700–69100 रु.) या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हों , -

(i) छह मास का नर्सिंग सहायक/मेडिक कोर्स;

<p>(ii) एडवांस नर्सिंग सहायक/एडवांस मेडिक कोर्स; और</p> <p>(iii) बल चिकित्सालय में नर्सिंग सहायक के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p>(ग) सभी दृष्टियों से चिकित्सकीय रूप से फिट होना आवश्यक होगा।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण-2 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण-3 :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	
<p>(13)</p> <p>लागू नहीं होता।</p>	
(1)	(2)
3. कांस्टेबल (नर्सिंग सहायक/ मेडिक)।	658*(2026)।
	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(4)	(5)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर -3 (21700-69100 रु.)।	लागू नहीं होता।
	आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।
	टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के

		अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सक्षिकम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्मीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
		(7)
<b>अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :</b>		
(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो ; और		
(ii) सेंट जॉन एम्बुलेंस संगठन या भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से प्राप्त प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र; या		
(ii) केंद्रीय सशब्द पुलिस बलों और असम राइफल्स के अस्पतालों में छह मास का नर्सिंग सहायक या मेडिक कोर्स।		
(ख) (i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम से कम पचास बिस्तर वाले अस्पताल या संस्थान में नर्सिंग सहायक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव।		
(ii) विभागीय अभ्यर्थियों को बल अस्पताल में नर्सिंग सहायक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव।		
<b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
<b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हताएं, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		
(8)		(9)
लागू नहीं होता।		दो वर्ष।
		टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।
		(10)
40 प्रतिशत सीधी भर्ती से।		
60 प्रतिशत पैरा-चिकित्सीय स्टाफ (समूह 'ग') कांस्टेबल (कहार) और कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) में से प्रतिनियुक्ति/आमेलन से।		

**टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों ; और

(ख) स्तंभ-7 के अंतर्गत सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित अर्हताएँ तथा अनुभव रखते हों।

(11)	(12)
<b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा :</b>  वेतन मेट्रिक्स के वेतन स्तर-3 (21700-69100 रु.) में के एसे कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कांस्टेबल (कहार) में से, जिन्होंने सीमा सुरक्षा बल में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास नीचे दी गई शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों :	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-  1.मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन ग्रेड) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल  2. द्वितीय कमान अधिकारी : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल  3.वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या : सदस्य। चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल
(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण; और  (ii) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स अस्पतालों में छह मास का नर्सिंग सहायक या मेडिक कोर्स।	
(ख) बल अस्पताल में नर्सिंग सहायक के रूप में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव।	
<b>टिप्पण 1:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
<b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
<b>टिप्पण 3 :</b> पोषक प्रवर्ग को ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	

(13) लागू नहीं होता।		
(1)	(2)	(3)
4. सहायक उप निरीक्षक (भेषजन)।	230*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसाचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर-5(29200-92300 रु.)।	लागू नहीं होता।	आयु पञ्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।  केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।
<b>टिप्पणि :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, असमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोवार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।		
(7)		
<b>अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :</b>		
(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की हो ; और		
(ii) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्ष की अवधि का भेषजी में डिप्लोमा और भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के अधीन भेषजन के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो।		
(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कम से कम सौ विस्तर वाले अस्पताल या संस्थान में भेषजिक के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव रखते हों।		
<b>टिप्पणि 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
<b>टिप्पणि 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हताएं, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा		

सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित व्यक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्यास संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

(10)
(i) 6 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
(ii) 94 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी वीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई व्यक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

- (क) (i) जो, नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या  
(ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) के पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और  
(ख) स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

(11)	(12)
<p><b>प्रोन्नति द्वारा:</b></p> <p>वेतन मेट्रिक्स के स्तर -4 (25500-81100 रु.) में के ऐसे हैड कांस्टेबल (पैरामेडिक) जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से दो साल की अवधि के भेषजी में डिप्लोमा की योग्यता होनी चाहिए और भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) के अधीन भेषजन के रूप में रजीस्ट्रीकृत होना चाहिए।</p> <p><b>टिप्पण:-</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल</li> <li>कमांडेंट : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल</li> <li>वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या : सदस्य। चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल</li> </ol> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल</li> </ol>

<p>है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब उनकी अर्हक या पात्रता सेवा आवश्यक अवधि से अधिकतम उसकी आधी अवधि या दो वर्ष (जो भी कम हो) से कम न हो, तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।</p>	<p>2. कमांडेट :सदस्य; सीमा सुरक्षा बल</p> <p>3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या : सदस्य। चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल</p>
<p>(13)</p> <p>लागू नहीं होता।</p>	
<p>(1) 5. सहायक उप-निरीक्षक (प्रयोगशाला तकनीशियन)।</p>	<p>(2) 81*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>
<p>(4) वेतन मेट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)।</p>	<p>(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धानीय (योधक)।</p> <p>(5) लागू नहीं होता।</p>
	<p>(6) आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लदाख, अंदमान और निकोवार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>

(7)

**अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता:-**

- (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और
- (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल प्रयोगशाला तकनीशियन/ तकनीक में दो वर्ष का डिप्लोमा; और
- (ग) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी डायग्नोस्टिक केंद्र या न्यूनतम सौ विस्तर वाले अस्पताल/संस्थान की प्रयोगशाला से न्यूनतम एक वर्ष का प्रयोगशाला तकनीशियन का अनुभव रखते हों।

**टिप्पण 1:** अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)

लागू नहीं होता

(9)

दो वर्ष

टिप्पण : केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

(10)

सीधी भर्ती द्वारा।

**टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

- (क) (i) जो, नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या  
(ii) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर -4 (25500-81100 रु.) के पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और  
(ख) स्तंभ-7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

(11)

लागू नहीं होता।

(12)

समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) : अध्यक्ष;  
सीमा सुरक्षा बल

	2. कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल  3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	: सदस्य;
	(13) लागू नहीं होता।	
(1)	(2)	(3)
6. सहायक उप-निरीक्षक (एक्स-रे/रेडियोग्राफर)।	27*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु.)।	लागू नहीं होता।	आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।  केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।
		टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्मीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
	(7)	
अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-		
(क)	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और	
(ख)	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी या रेडियोग्राफी में कम से कम दो वर्ष का डिप्लोमा; और	

(ग) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त रेडियोलॉजी इमेजिंग सेंटर या सौ विस्तर वाले अस्पताल या संस्थान में रेडियोग्राफर के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।

**टिप्पण 1:** अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण : केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

(10)

88 (अट्टासी) प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

12 (बारह) प्रतिशत प्रोन्नति से, जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

**टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों ; या

(ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर -4 (25500-81100 रु.) के पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और

(घ) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ-7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

(11)	(12)
<p>प्रोन्नति द्वारा :-</p> <p>वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में के ऐसे हैड कांस्टेबल (जूनियर एक्स-रे सहायक) जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p><b>टिप्पण:-</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल</li> <li>2. कमांडेंट : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल</li> <li>3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी : सदस्य। सीमा सुरक्षा बल</li> </ol>

<p>है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब उनकी अर्हक या पात्रता सेवा आवश्यक अवधि से अधिकतम उसकी आधी अवधि या दो वर्ष (जो भी कम हो) से कम न हो, तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल</li> <li>2. कमांडेंट : सदस्य सीमा सुरक्षा बल</li> <li>3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी : सदस्य। सीमा सुरक्षा बल</li> </ol>	
(13)		
लागू नहीं होता।		
(1)	(2)	(3)
7. सहायक उप निरीक्षक (फिजियोथेरेपिस्ट)।	55*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु.)।	लागू नहीं होता।	आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।  केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।  टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)

**अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता:-**

(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; और

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से फिजियोथेरेपी में दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा;

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी सेंटर या कम से कम सौ बिस्तर वाले अस्पताल या संस्थान में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो।

**टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)

लागू नहीं होता।

(9)

दो वर्ष।

**टिप्पण :** केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

(10)

सीधी भर्ती द्वारा।

**टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर -4 (25500-81100 रु.) के पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ-7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

(11)

लागू नहीं होता।

(12)

समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) : अध्यक्ष;

सीमा सुरक्षा बल

2. कमांडेंट : सदस्य;

सीमा सुरक्षा बल

3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या : सदस्य।

चिकित्सा अधिकारी

सीमा सुरक्षा बल

(13)

लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)
8. सहायक उप निरीक्षक (दंत तकनीशियन)।	08*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु.)।	लागू नहीं होता।	आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।  केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।
(7)		टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयिक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
<b>अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता:-</b>		
(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ; और		
(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं भारतीय दंत चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रीकृत संस्थान से दो वर्ष की अवधि का दंत चिकित्सा में डिप्लोमा; और		
(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम से कम सौ विस्तर वाले अस्पताल या संस्थान में दंत तकनीशियन के रूप में कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव।		
<b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
<b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हताएं, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा		

सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्यास संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात् सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

(10)
सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों ; या

(ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 ( 25500-81100 रु.) के पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ-7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

(11)	(12)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-  1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल  2. कमांडेंट : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल  3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या : सदस्य। चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
09. सहायक उप निरीक्षक (शल्य चिकित्सा कक्ष तकनीशियन)।	08*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)।	लागू नहीं होता।	आयु पञ्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

		केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।
		<b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयिक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)

**अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता:-**

- (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण ; और  
(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शल्य चिकित्सा कक्ष तकनीक/तकनीशियन का दो वर्ष का डिप्लोमा कोर्स; और  
(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम से कम सौ बिस्तर वाले अस्पताल या संस्थान में शल्य चिकित्सा कक्ष तकनीशियन के रूप में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का कार्य अनुभव।

**टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। <b>टिप्पण :</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों

	के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	
(10)	सीधी भर्ती द्वारा।	
टिप्पणि : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।		
(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या		
(ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर -4 (25500-81100 रु.) के पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और		
(ख) सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ-7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।		
(11)	(12)	
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. कमांडेंट : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या : सदस्य। चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	
(13)		
लागू नहीं होता।		
(1)	(2)	(3)
10. सहायक उप निरीक्षक (स्टीवर्ड)।	02*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)		
प्रोन्नति द्वारा।		
(11)	(12)	
प्रोन्नति द्वारा :-  वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में के एसे हैड कांस्टेबल (स्टीवर्ड) जिन्होंने ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल	

<p>प्रवेश स्तर पर विहित बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p><b>टिप्पणि:-</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब उनकी अर्हक या पात्रता सेवा आवश्यक अवधि से अधिकतम उसकी आधी अवधि या दो वर्ष (जो भी कम हो) से कम न हो, तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।</p>	<p>2. कमांडेंट : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल</p> <p>3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या : सदस्य। चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल</p>
<p>(13)</p> <p>लागू नहीं होता।</p>	
<p>(1)</p> <p>11. हैड कांस्टेबल (स्टीवर्ड)।</p>	<p>(2)</p> <p>08* (2026)</p> <p>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p> <p>(3)</p> <p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।</p>
<p>(4)</p> <p>वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 4 ( 25500-81100 रु.) ।</p>	<p>(5)</p> <p>लागू नहीं होता।</p> <p>(6)</p> <p>आयु पञ्चास वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।</p>
	<p><b>टिप्पणि :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्मीनाथ संघ</p>

		राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
(7)		
<b>अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता:-</b>		
(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और		
(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से खानपान और रसोई प्रबंधन में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा, और;		
(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम से कम सौ विस्तर वाले अस्पताल या संस्थान में स्टीवर्ड के रूप में कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव।		
<b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
<b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हताएं, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		
(8)	(9)	
लागू नहीं।	दो वर्ष।	
	टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	
(10)		
	सीधी भर्ती द्वारा।	
<b>टिप्पण :</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।		
(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या		
(ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर -3 (21700-69100 रु.) के पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और		
(ख) सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ-7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।		
(11)	(12)	
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
	1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन ग्रेड) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल	
	2. द्वितीय-कमान-अधिकारी : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल	

		3.वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या : सदस्य। चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल (13) लागू नहीं होता।
(1)	(2)	(3)
12. सहायक उपनिरीक्षक (इलेक्ट्रॉनिक कार्डियो ग्राफिक्स तकनीशियन)।	01*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर – 5 (29200-92300 रु.)।	लागू नहीं होता।	आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।  केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।
		टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोवार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
		(7)
<b>अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता:-</b>		
(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; और		
(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक कार्डियो ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी में दो साल का डिप्लोमा; और		

(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिसिन या कार्डियोलॉजी में सौ बिस्तर वाले अस्पताल में बारह चैनल इलेक्ट्रॉनिक कार्डियो ग्राफिक्स (ईसीजी), कार्डियक मॉनिटर, इको, डिफिब्रिलेटर, टीएमटी और होल्टर मशीन जैसे हृदय उपकरणों को संभालने का कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव।

**टिप्पण 1:** अहंताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अहंताएं, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।  टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

(10)	सीधी भर्ती द्वारा।
------	--------------------

**टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर -4 (25500-81100 रु.) के पदों पर पांच साल की नियमित सेवा की हो; और

(ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ-7 में विहित शैक्षणिक अहंताएँ और अनुभव रखते हों।

(11)	(12)
लागू नहीं होता।	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल</p> <p>2. कमांडेंट : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल</p>

	3.वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	: सदस्य।
(13)		
लागू नहीं होता।		
(1)	(2)	(3)
13. सहायक उपनिरीक्षक (बिजली मिस्ट्री)।	01*(2026)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर – 5 (29200-92300 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)		
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/प्रोब्रति द्वारा सम्मिश्रित पद्धति।		
(11)	(12)	
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ प्रोब्रति द्वारा सम्मिश्रित पद्धति :-		लागू नहीं होता
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के एसे अधिकारी:		
(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या		
(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और		
(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हों:-		
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और,		
(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से बिजली मिस्ट्री के ट्रेड में कम से कम एक साल का डिप्लोमा कोर्स; और		
(iii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम सौ विस्तर वाले अस्पताल या संस्थान में बिजली मिस्ट्री के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव।		
(ग) सभी दृष्टियों से चिकित्सकीय रूप से फिट होना आवश्यक होगा।		

<p><b>टिप्पणी-1:</b> विभागीय हैड कांस्टेबल (विजली मिस्त्री) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 में (25500-81100 रु.) पांच साल नियमित सेवा की हो, उन्हें बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारार्थ लिया जाएगा और यदि विभागीय उम्मीदवार का इस पद पर चयन होता है, तो उसे प्रोब्रति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।</p> <p><b>टिप्पणी-2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी-3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
(13)		
लागू नहीं होता।		
(1)	(2)	(3)
14. हैड कांस्टेबल (विजली मिस्त्री)।	01*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धानीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 4 ( 25500-81100 रु.)।	लागू नहीं होता।	आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।  केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।
(7)		
<p><b>अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-</b></p> <p>(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; और</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से विजली मिस्त्री ट्रेड में न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा कोर्स; और</p>		

(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम से कम सौ विस्तर वाले अस्पताल अथवा संस्थान में विजली मिश्नी के रूप में कम से कम एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव।

**टिप्पण 1:** अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

(10)
सीधी भर्ती द्वारा।

**टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों ; या

(ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर -3 (21700-69100 रु.) के पदों पर पांच साल की नियमित सेवा की हो; और

(ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ-7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

(11)	(12)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-  1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन ग्रेड) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल  2. द्वितीय कमान अधिकारी : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल  3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी : सदस्य। सीमा सुरक्षा बल

(1)	(2)	(3)
15. सहायक उप-निरीक्षक (वातानुकूलन प्लांट तकनीशियन)।	01*(2026)। *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धानीय (योधक)।

(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ प्रोन्नति द्वारा सम्मिश्रित पद्धति।	
(11)	(12)	
प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित)/ प्रोन्नति द्वारा सम्मिश्रित पद्धति :		लागू नहीं।
केंद्रीय सशब्द पुलिस बलों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के एसे अधिकारी:		
(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या		
(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर- 4 (25500-81100 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और		
(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हों:-		
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और,		
(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या सरकारी संस्थान या निजी संस्थान से रेफ्रीजरेशन एवं वातानुकूलन में कम से कम एक साल का डिप्लोमा कोर्स; और		
(iii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम सौ बिस्तर वाले अस्पताल या बल अस्पताल में वातानुकूलन संयंत्र तकनीशियन के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव।		
(ग) सभी दृष्टियों से चिकित्सकीय रूप से फिट होना आवश्यक होगा।		

<p><b>टिप्पणी- 1:</b> विभागीय हैड कांस्टेबल (वातानुकूलन प्लांट तकनीशियन) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में पांच साल नियमित सेवा की हो, उन्हें बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारार्थ लिया जाएगा और यदि विभागीय उम्मीदवार का इस पद पर चयन होता है, तो उसे प्रोत्तरता द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।</p> <p><b>टिप्पणी-2 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी-3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
<p>(13)</p> <p>लागू नहीं होता।</p>	
<p>(1)</p> <p>16. हैड कांस्टेबल (वातानुकूलन प्लांट तकनीशियन)।</p>	<p>(2)</p> <p>01*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p> <p>(3)</p> <p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।</p>
<p>(4)</p> <p>वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 4 ( 25500-81100 रु.)।</p>	<p>(5)</p> <p>लागू नहीं होता।</p> <p>(6)</p> <p>आयु पच्छीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।  केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।</p>
	<p><b>टिप्पणी :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>

(7)

**अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता:-**

- (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; और
- (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या सरकारी संस्थान या निजि संस्थान से रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलन में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा; और
- (ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कम से कम सौ विस्तर वाले अस्पताल या संस्थान में वातानुकूलन प्लांट तकनीशियन के रूप में कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव।

**टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)

लागू नहीं होता।

(9)

दो वर्ष।

टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

(10)

सीधी भर्ती द्वारा।

**टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) के पदों पर पांच साल की नियमित सेवा की हो; और

(ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ-7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

(11)

लागू नहीं होता।

(12)

समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1.मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन ग्रेड) : अध्यक्ष;  
सीमा सुरक्षा बल

	2. द्वितीय कमान अधिकारी सीमा सुरक्षा बल  3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	: सदस्य
	(13) लागू नहीं होता।	
(1)	(2)	(3)
17. सहायक उप-निरीक्षक (डायलिसिस तकनीशियन)।	01*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रु.)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)		
	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	
(11)	(12)	
<b>प्रोन्नति द्वारा:-</b>  एसे हैड कांस्टेबल (डायलिसिस तकनीशियन) जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और  प्रारंभिक स्तर पर विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-  1. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) : अध्यक्ष सीमा सुरक्षा बल  2. कमांडेंट, सीमा सुरक्षा बल  3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	

<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b></p> <p>केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के एसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हों:-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से डायलिसिस तकनीशियन में कम से कम एक साल का डिप्लोमा कोर्स; और</p> <p>(iii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम सौ बिस्तर वाले अस्पताल में या डायलिसिस सेंटर में डायलिसिस तकनीशियन के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव।</p> <p>(ग) सभी दृष्टियों से चिकित्सकीय रूप से फिट होना आवश्यक होगा।</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य-काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण-2 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण-3:</b> प्रोन्नति की पोषक श्रेणी में आने वाले विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में</p>	
--	--

हों, प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी प्रोन्हति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।			
(13)			लागू नहीं होता।
(1)	(2)	(3)	
18. हैड कॉस्टेबल (डायलिसिस तकनीशियन)।	03*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।	
(4)	(5)	(6)	
वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100 रु.)।	लागू नहीं होता।	आयु पञ्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।  केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।	
टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।			
(7)			
<b>अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता:-</b>			
<p>(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; और</p> <p>(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डायलिसियस तकनीकी में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा; और</p> <p>(ख) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान में या कम से कम सौ विस्तर वाले अस्पताल में या डायलिसिस केंद्र में डायलिसिस तकनीशियन के रूप में कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव।</p>			
<p><b>टिप्पणी 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p>			

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

(10)
सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर -3 (21700-69100 रु.) के पदों पर पांच साल की नियमित सेवा की हो; और

(ख) सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ-7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

(11)	(12)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-  1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. द्वितीय कमान अधिकारी : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी : सदस्य। सीमा सुरक्षा बल

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
19. हैड कांस्टेबल (ड्रेसर)।	01*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7) लागू नहीं होता।	(8) लागू नहीं होता।	(9) लागू नहीं होता।
(10) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / प्रोन्नति द्वारा सम्मिश्रित पद्धति।		
(11) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) / प्रोन्नति द्वारा सम्मिश्रित पद्धति :	(12) लागू नहीं होता।	
<p>केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के एसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या</p> <p>(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ रखते हों ;-</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और</p> <p>(ii) सेंट जॉन एम्बुलेंस संगठन या रेड क्रॉस सोसायटी ऑफ इंडिया से जारी प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र; और</p> <p>(iii) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम पचास विस्तर वाले अस्पताल या संस्थान में घावों की पट्टी एवं ड्रेसिंग का कम से कम पाँच वर्ष का कार्य अनुभव।</p> <p>(ग) सभी दृष्टियों से चिकित्सकीय रूप से फिट होना आवश्यक होगा।</p> <p><b>टिप्पणी-1:</b> विभागीय कांस्टेबल (ड्रेसर), जिसने वेतन मेट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो, को बाहरी उम्मीदवारों के साथ विचारार्थ लिया जाएगा, और यदि विभागीय उम्मीदवार का इस पद पर चयन</p>		

<p>होता है, तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ पद माना जाएगा।</p>		
<p><b>टिप्पणी-2:</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
<p><b>टिप्पणी-3:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
<p>(13) लागू नहीं होता</p>		
(1)	(2)	(3)
20. कांस्टेबल (ड्रेसर)।	01*(2026)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह
		'ग', अराजपत्रित, अननुसाचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर -3	लागू नहीं होता।	आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(21700-69100 रु.)।		केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।
		<p><b>टिप्पणी :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, असमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>

(7)

**अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-**

(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और

(ii) सेंट जॉन एम्बुलेंस संगठन या रेड क्रॉस सोसायटी ऑफ इंडिया से जारी प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न्यूनतम पचास बिस्तर वाले अस्पताल या संस्थान में घावों की पट्टी और ड्रेसिंग का कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव।

**टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)

लागू नहीं होता।

(9)

दो वर्ष।

टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

(10)

सीधी भर्ती द्वारा।

**टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हर्ई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों ; और

(ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ-7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

(11)

लागू नहीं होता।

(12)

समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) : अध्यक्ष ;  
सीमा सुरक्षा बल

	2. द्वितीय कमान अधिकारी सीमा सुरक्षा बल  3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	: सदस्य;
	(13)	: सदस्य।
लागू नहीं होता।		
(1)	(2)	(3)
21. हेड कांस्टेबल (वार्ड ब्वाय /वार्ड गर्ल/ आया)।	07*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रु.)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10) प्रोन्नति द्वारा।		
(11)	(12)	
प्रोन्नति द्वारा :-  वेतन मेट्रिक्स के स्तर -3 (21700-69100 रु.) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले कांस्टेबल (वार्ड ब्वाय/ वार्ड गर्ल/ आया); जिन्होने  प्रारंभिक स्तर पर विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :  1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन ग्रेड) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल  2. द्वितीय कमान अधिकारी : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल  3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी : सदस्य। सीमा सुरक्षा बल	
टिप्पणी-1:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा; परंतु यह तब जब उनकी अर्हक या पात्रता सेवा आवश्यक अवधि से अधिकतम उसकी आधी अवधि या दो वर्ष (जो भी कम हो) से कम न हो, तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।		
(13)		
लागू नहीं होता।		

(1)	(2)	(3)
22. कांस्टेबल (वार्ड ब्वाय /वार्ड गर्ल/ आया)।	25*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्चिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर -3 (21700-69100 रु.)।	लागू नहीं होता।	आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।
(7)		<b>टिप्पणि :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
<b>अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-</b>		
(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और		
(ii) सेंट जॉन एम्बुलेंस संगठन या रेड क्रॉस सोसायटी ऑफ इंडिया से जारी प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र; और		
(ख) (i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, न्यूनतम पचास विस्तर वाले अस्पताल या संस्थान में, कम से कम एक वर्ष का वार्ड ब्वाय /वार्ड गर्ल/ आया का कार्य अनुभव।		
(ii) बहु-कौशल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।		
<b>टिप्पणि 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्रम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्रम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

(10)  
सीधे भर्ती द्वारा।

**टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; और

(ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ-7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

(11)	(12)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि हेतु विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-  1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल  2. द्वितीय कमान अधिकारी : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल  3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी : सदस्य। सीमा सुरक्षा बल

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
23. हैड कांस्टेबल (टेबल ब्वाय)।	02*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।

(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रु.)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7) लागू नहीं होता।	(8) लागू नहीं होता।	(9) लागू नहीं होता।
	(10) प्रोन्नति द्वारा।	
(11)	(12)	
<b>प्रोन्नति द्वारा:-</b>  वेतन मेट्रिक्स के स्तर -3 (21700-69100 रु.) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा करने वाले एस कांस्टेबल (टेबल ब्वाय); जिन्होंने प्रारंभिक स्तर पर विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :  1.मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन ग्रेड) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल  2. द्वितीय कमान अधिकारी : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल  3.वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी : सदस्य। सीमा सुरक्षा बल।	
टिप्पणी:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा; परंतु यह तब जब उनकी अर्हक या पात्रता सेवा आवश्यक अवधि से अधिकतम उसकी आधी अवधि या दो वर्ष (जो भी कम हो) से कम न हो, तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।		
(13)		
	लागू नहीं होता।	
(1)	(2)	(3)
24. कांस्टेबल (टेबल ब्वाय )।	08*(2026)। *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर -3 (21700-69100 रु.)।	लागू नहीं होता।	आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार

	<p>विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोवार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>
(7)	

### अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-

(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और

(ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा व्यावसायिक संस्थान से एक वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र, तथा संबंधित ट्रेड में कम से कम एक वर्ष का अनुभव; या

(ii) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड या समतुल्य ट्रेड में दो वर्षीय डिप्लोमा।

(iii) बहु-कौशल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

**टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

**टिप्पण :** केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

(10)  
सीधी भर्ती द्वारा।

**टिप्पणि :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; और

(ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ-7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

(11)	(12)
लागू नहीं होता।	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल</li> <li>2. द्वितीय कमान अधिकारी : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल</li> <li>3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी : सदस्य। सीमा सुरक्षा बल</li> </ol>

(13)		
(1)	(2)	(3)
25. हैड कांस्टेबल (मशालची)।  वेतन मेट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रु.)।	04*(2026)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
लागू नहीं होता।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)		प्रोन्नति द्वारा।
(11)	(12)	
<b>प्रोन्नति द्वारा :-</b>  वेतन मेट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा करने वाले एसे कांस्टेबल (मशालची); जिन्होंने	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन ग्रेड) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल</li> </ol>	

<p>प्रारंभिक स्तर पर विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।</p> <p><b>टिप्पणी:-</b> जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा; परंतु यह तब जब उनकी अर्हक या पात्रता सेवा आवश्यक अवधि से अधिकतम उसकी आधी अवधि या दो वर्ष (जो भी कम हो) से कम न हो, तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।</p>	<p>2. द्वितीय कमान अधिकारी सीमा सुरक्षा बल : सदस्य;</p> <p>3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल : सदस्य।</p>	
(13)		
लागू नहीं होता।		
(1)	(2)	(3)
26. कांस्टेबल (मशालची)।	18*(2026)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर -3 (21700-69100 रु.)।	लागू नहीं होता।	आयु पञ्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।  केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।
<p>टिप्पणी : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोवार द्वीप या लक्ष्मीप संघ</p>		

		राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
(7)		
<b>अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता:-</b>		
(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और		
(ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा व्यावसायिक संस्थान से एक वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र, और संबंधित ट्रेड में कम से कम एक वर्ष का अनुभव; या		
(ii) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड या समतुल्य ट्रेड में दो वर्षीय डिप्लोमा।		
(iii) बहु-कौशल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।		
<b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
<b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हताएं, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		
(8)	(9)	
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	
टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।		
(10)		
सीधी भर्ती द्वारा।		
<b>टिप्पण :</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।		
(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; और		
(ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ-7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।		
(11)	(12)	
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
	1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल	

	2. द्वितीय कमान अधिकारी सीमा सुरक्षा बल 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी सीमा सुरक्षा बल	: सदस्य;
(13) लागू नहीं होता।		
(1)	(2)	(3)
27. हैड कांस्टेबल (चपरासी)।	06*(2026) <small>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</small>	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धानीय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर -4 (25500-81100 रु.)।	चयन।	लागू नहीं होता।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10) प्रोन्नति द्वारा।		
(11)	(12)	
प्रोन्नति द्वारा :-  वेतन मेट्रिक्स के स्तर -3 (21700-69100 रु.) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा करने वाले ऐसे कांस्टेबल (चपरासी); जिन्होंने प्रारंभिक स्तर पर विहित बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।  टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा; परंतु यह तब जब उनकी अर्हक या पात्रता सेवा आवश्यक अवधि से अधिकतम उसकी आधी अवधि या दो वर्ष (जो भी कम हो) से कम न हो, तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-  1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन ग्रेड) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल  2. द्वितीय कमान अधिकारी : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल  3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी : सदस्य। सीमा सुरक्षा बल	
(13) लागू नहीं होता।		

(1)	(2)	(3)
28. कांस्टेबल (चपरासी)।	26*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्चिवाय (योधक)।
(4)	(5)	(6)
वेतन मेट्रिक्स में स्तर -3 (21700-69100 रु.)।	लागू नहीं होता।	आयु पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।  केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।
(7)		

**अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-**

- (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।  
(ii) बहु-कौशल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

**टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं, ऐसे कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।  <b>टिप्पण :</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण के पश्चात सुसंगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।

(10)	
सीधी भर्ती द्वारा।	
<b>टिप्पण :</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।	
(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; और	
(ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ-7 में विहित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।	
(11)	(12)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) : अध्यक्ष; सीमा सुरक्षा बल 2. द्वितीय कमान अधिकारी : सदस्य; सीमा सुरक्षा बल 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी : सदस्य सीमा सुरक्षा बल
(13)	लागू नहीं होता

[फा. सं. सी-17/04/2023/कार्मिक-गोपनीय/बीएसएफ]

शिव लहरी मीना, अवर सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2026

**G.S.R. 69(E).**— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) and in supersession of the Border Security Force Combatised Para-Medical Staff Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the post of Pharmacist (Assistant Sub-Inspector-Qualified), Physiotherapist (Assistant Sub-Inspector), Laboratory Technician (Assistant Sub-Inspector), Laboratory Assistant/Technician (Head Constable), Junior X-Ray Assistant (Head Constable), Dental Technician (Assistant Sub-Inspector), Operation Theatre Technician (Assistant Sub-inspector), Electronic Cardio Graphics Technician (Assistant Sub-Inspector), Steward (Head Constable), Electrician (Head Constable), Nursing Assistant (Head Constable), Air Conditioner Plant Technician (Head Constable) and Constable (Dresser) and the Border Security Force, Medical Cadre, Group 'C' Posts (Combatised), Recruitment Rules, 2011, in so far as they relate to the post of Constable (Masalchi), Constable (Table Boy), Constable (Ward Boy/Ward Girl/Aya), Constable (Kahar) and Constable (Peon), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Para-Medical Group 'C' Combatised Posts in Border Security Force under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (i) These rules may be called the Border Security Force Combatised Para-Medical Cadre (Group 'C') posts Recruitment Rules, 2026.  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.**- These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** – The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit qualifications etc.** – The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Initial Constitution.** - The persons holding the posts mentioned in the Schedule on the date of commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by them in the said post on regular basis before the said commencement shall be taken into account for deciding their period of probation, seniority, pensionary benefits and eligibility for promotion to the next higher grade.
6. **Medical Fitness for promotion.**- (a) For Combatised Staff promotion from one post to another in any grade or rank or post included in the schedule, individual shall be required to confirm to medical Category SHAPE-I as prescribed by the Government from time to time.
- (b) Standard required for Direct Recruitment:
- (i) for direct recruits. - Only those persons who are medically fit and physically fit as specified in Ministry of Home Affairs guidelines dated 20.5.2015 on recruitment of medical examination in Central Armed Police Forces and Assam Rifles and as per the scheme prescribed by the Central Government and subsequent amendments thereon from time to time shall be eligible for appointment to the posts specified in the Column (1) of the Schedule under the provision of these rules.
- (ii) Physical Standards:

Sl. No		Height		Chest	
		Male	Female	Male	Female
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	The minimum Height/Chest for all candidates except those mentioned below Un- reserved (UR), Economically Weaker Section (EWS), Scheduled Caste (SC) and Other Backward Classes (OBC).	165 Cm	155 Cm	75-80 Cm	Not applicable
2.	The minimum Height/Chest for all candidates belonging to the Scheduled Tribes (ST) category of all States/Union territories/District except as given in the following para will be.	160 Cm	148 Cm	75-80 Cm	Not applicable
3.	The minimum Height/Chest for all Scheduled Tribes (ST) hailing from North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	155 Cm	147 Cm	75-80 Cm	Not applicable
4.	The minimum Height/Chest for the all Scheduled Tribes (ST) hailing from Left Wing Extremism affected districts.	158 Cm	147 Cm	75-80 Cm	Not applicable
5.	The minimum Height/Chest for the candidates falling in the categories of Garhwali, Kumauni, Dogras, Marathas and candidates belonging to the state of Assam, Himachal Pradesh and Union territory of Jammu & Kashmir.	162.5 Cm	152 Cm	75-80 Cm	Not applicable
6.	The minimum Height/Chest for the candidate hailing from North Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	160 Cm	150 Cm	75-80 Cm	Not applicable
7.	The minimum Height/Chest for the candidates hailing from Gorkha Territorial Administration (GTA) comprising of the three Sub-Division of Darjeeling Districts namely Darjeeling, Kalimpong and Kurseong and includes the following “Mouzas” Sub-Division of the districts :- (1) Lohagarh Tea Garden (2) Lohagarh forest	155 Cm	150 Cm	75-80 Cm	Not applicable

(3) Tangmohan (4) Barachenga (5) Panighata (6) Chota Adalpur (7) Paharu (8) Sukna Forest (9) Sukna part-1 (10) Pantapati Forest-1 (11) Mahanadi Forest (12) Champasari Forest (13) Salbari Chhat Part-II (14) Sitong Forest (15) Sivoke Hill forest (16) Sivoke forest (17) Chhota Chenga (18) Nipania.				
Weight	Corresponding to height and age.			

(c) Should qualify the physical efficiency, written and trade test for direct recruitment post.

7. **Disqualifications.**— No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said cadre:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

8. **Liability to Serve.** - Any person appointed to any post under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

9. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of person.

10. **Ineligibility of non-citizens of India.** - No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of Central Government in writing, be appointed under these rules.

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

11. **Superannuation.** - Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the months in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time.

Provided that a person whose date of birth is on the first of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding months on attaining the age of sixty years.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

12. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of the post.	Number of post.	Classification.
(1)	(2)	(3)
1. Assistant Sub-Inspector (Medic).	126*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
Level in pay matrix.	Whether Selection post or non-Selection post.	Age limit for direct recruits.
(4)	(5)	(6)
Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Selection.	Not applicable.
Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and qualifications prescribed for direct recruits	Period of probation, if any.

	will apply in the case of promotees.	
(7) Not applicable.	(8) Not applicable.	(9) Not applicable.
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.		
(10)		
By promotion.		
In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	
(11)	(12)	
<b>By promotion:</b> -  From amongst Head Constable (Medic or Nursing Assistant) in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with five years regular service in the grade; and  shall have successfully completed Basic Recruit Training as prescribed at entry level.  <b>Note:</b> - Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :  1. Deputy Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force  2. Commandant : Member; Border Security Force  3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force	
Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.		
(13)		
Not applicable.		
(1)	(2)	(3)
2. Head Constable (Medic).	314*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10)		
By promotion failing which by deputation/ absorption.		
(11)	(12)	
<b>By promotion:</b> -  From amongst Constable (Nursing Assistant or Medic) who have rendered five years regular service in the pay level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) who have qualified, -	Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :  1.Chief Medical Officer (Selection Grade) : Chairperson; Border Security Force  2. Second-in-Command : Member; Border Security Force	

<p>(i) six months Nursing Assistant or Medic Course;</p> <p>(ii) advance Nursing Assistant or Advance Medic Course and have rendered five years regular service as Constable Nursing Assistant or Medic in Border Security Force; and</p> <p style="margin-left: 40px;">shall have successfully completed Basic Recruit Training as prescribed at entry level.</p> <p><b>Note:</b> - Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force</p>
<p><b>Deputation/Absorption :</b></p> <p>(i) serving and willing Border Security Force Head Constable (General Duty) in the pay level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) and having qualified six months Nursing Assistant or Medic Course and Advance Nursing Assistant or Advance Medic Course with minimum five years experience as Nursing Assistant in Force Hospital; or</p> <p>(ii) constable (General Duty) with five years minimum service in the pay level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) and having qualified six months Nursing Assistant or Medic Course and Advance Nursing Assistant or Advance Medic Course with minimum five years experience as Nursing Assistant in the Force Hospital; or</p> <p>Deputation: Officers of the Central Armed Police Forces or the Central Government or the State Governments or the Union territories:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p>	

<p>(ii) with five years regular service in the pay level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications, -</p> <p>(i) six months Nursing Assistant or Medic Course;</p> <p>(ii) advance Nursing Assistant or Advance Medic Course; and</p> <p>(iii) minimum five years experience as Nursing Assistant in the Force Hospital.</p> <p>(c) shall be medically fit in all respects.</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including the period of deputation in another ex-cadre post) held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note 3:</b> The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>	
<p>(13)</p> <p>Not applicable.</p>	
<p>(1)</p> <p>3. Constable (Nursing Assistant or Medic).</p>	<p>(2)</p> <p>658*(2026). *Subject to variation dependent on workload.</p> <p>(3)</p> <p>General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).</p>
<p>(4)</p> <p>Level- 3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100).</p>	<p>(5)</p> <p>Not applicable.</p> <p>(6)</p> <p>Not exceeding twenty-five years of age. The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p>

		<b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
(7)		

**Essential qualification:**

- (a) (i) passed class 10<sup>th</sup> from a recognised Board; and
- (iii) First Aid Certificate from St. John's Ambulance organisation or Red Cross Society of India; or
- (iv) six months Nursing Assistant or Medic Course in Central Armed Police Forces and Assam Rifles Hospitals.
- (b) (i) experience of minimum one year as Nursing Assistant in minimum fifty bedded hospital or institution recognised by the Central Government or any State Government.
- (ii) experience of Departmental candidates of minimum one year as Nursing Assistant in Force Hospital.

**Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years. <b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)
Forty per cent. by direct recruitment.

Sixty per cent. by deputation/absorption from amongst Para-medical staff (Group 'C' Constable (Kahar) and Constable (General Duty).

**Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,-

- (a) holding analogous posts on regular basis; and

- (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7.

(11)	(12)
<b>By deputation/absorption:</b> From amongst Constable (General Duty) and Constable (Kahar) in the pay level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with three years regular service in Border	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Chief Medical Officer (Selection Grade) : Chairperson; Border Security Force

<p>Security Force and possessing the following educational qualifications and experience :</p> <p>(a) (i) passed class 10<sup>th</sup> from a recognised Board; and</p> <p>(ii) six months Nursing Assistant or Medic Course in Central Armed Police Forces and Assam Rifles Hospitals.</p> <p>(b) experience of minimum one year as Nursing Assistant in Force Hospital.</p>	<p>2. Second-in-Command Border Security Force : Member;</p> <p>3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force</p>			
	<p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including the period of deputation in another ex-cadre post) held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note 3:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>			
(13)				
Not applicable.				
(1)	(2)	(3)		
4. Assistant Sub-Inspector (Pharmacist).	230*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).		
(4)	(5)	(6)		
Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	<p>Not exceeding twenty-five years of age.</p> <p>The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p>		

(7)	
<b>Essential qualification:-</b>	
<p>(a) (i) 12<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and</p> <p>(ii) diploma in Pharmacy of two years duration from an Institution recognised by the Central Government or State Government and shall be registered as a Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948); and</p> <p>(b) experience of duration of minimum one year as Pharmacist in a minimum hundred bedded hospital or institution recognised by the Central Government or any State Government.</p>	
<p><b>Note 1:</b> Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	
(8)	(9)
Not applicable.	<p>Two years.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.</p>
(10)	
<p>(i) Six per cent. by promotion failing which by direct recruitment.</p> <p>(ii) Ninety four per cent. by direct recruitment.</p> <p><b>Note:</b> “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with five years regular service in posts level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100); and</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7.”</p>	
(11)	(12)
<p><b>By promotion:</b></p> <p>From Head Constable (Paramedic) in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with five years regular service in the grade and;</p> <p>shall have successfully completed Basic Recruit Training as prescribed at entry level.</p> <p>Having qualification of diploma in Pharmacy of duration two years from an institution recognised by the Central Government or a State Government and should be registered as Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).</p>	<p>Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force</li> <li>2. Commandant : Member; Border Security Force</li> <li>3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force</li> </ol> <p>Group ‘C’ Departmental Confirmation committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force</li> </ol>

<p><b>Note:-</b> Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	2. Commandant Border Security Force	: Member;
	3. Senior Medical Officer or Medical Officer Border Security Force	: Member.
(13)		
Not applicable.		
(1)	(2)	(3)
5.Assistant Sub-Inspector (Laboratory Technician).	81*(2026). *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	<p>Not exceeding twenty-five years of age.</p> <p>The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p>
(7)		
<b>Essential qualification:-</b>		
<p>(a) 12<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and</p> <p>(b) diploma in Medical Laboratory Technician or Technology of two years' duration from an Institution recognised by the Central Government or State Government; and</p> <p>(c) experience of minimum one year as Laboratory Technician from a Laboratory Diagnostic Centre or a minimum hundred bedded hospital or institution recognised by the Central Government or any State Government.</p>		
<p><b>Note 1:</b> Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at</p>		

any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years.

**Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)
By direct recruitment.

**Note :** “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with five years regular service in posts in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100); and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column -7.”

(11)	(12)
Not applicable.	<p>Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force</li> <li>2. Commandant : Member; Border Security Force</li> <li>3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force</li> </ol>

(13)		
Not applicable.		

(1)	(2)	(3)
6. Assistant Sub-Inspector (X-Ray/Radiographer).	27*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).

(4)	(5)	(6)
Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	<p>Not exceeding twenty-five years of age.</p> <p>The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh,</p>

		Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
(7)		

**Essential qualification:-**

(a) 12<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and

(b) diploma of minimum two years duration in Medical Imaging Technology/ Radiography from an institute recognised by the Central Government or State Government; and

(c) experience of minimum one year as a Radiographer in Radiology Imaging Centre or a hundred bedded hospital or institution recognised by the Central Government or any State Government.

**Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)
Not applicable.	<p style="text-align: center;">Two years.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.</p>

(10)

Eighty-eight per cent. by direct recruitment.

Twelve per cent. by promotion failing which by direct recruitment.

**Note :** “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with five years regular service in posts in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500- 81100); and

<p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7.”</p>	
---	--

(11)	(12)
<p><b>Promotion: -</b></p> <p>From amongst the Junior X-Ray Assistant (Head Constable) who have rendered five years of regular service in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100); and</p> <p>shall have successfully completed Basic Recruit Training as prescribed at the entry level.</p> <p><b>Note:</b> - Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided</p>	<p>Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deputy Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force</li> <li>2. Commandant : Member; Border Security Force</li> <li>3. Senior Medical Officer or Medical Officer: Member. Border Security Force</li> </ol> <p>Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :</p>

they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	1. Deputy Inspector General (Medical) Border Security Force : Chairperson; 2. Commandant Border Security Force : Member; 3. Senior Medical Officer or Medical Officer: Member. Border Security Force	
(13)		
Not applicable.		
(1)	(2)	(3)
7.Assistant Sub-Inspector (Physiotherapist).	55*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	Not exceeding twenty-five years of age.
		<p>The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p>
(7)		
<b>Essential qualification :-</b>		
<p>(a) (i) 12<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and</p> <p>(ii) diploma in Physiotherapy of two years duration from an institution recognised by the Central Government or State Government; and</p> <p>(b) experience of minimum one year as a Physiotherapist in Physiotherapy Centre or minimum hundred bedded hospital or institution recognised by Central Government or any State Government.</p>		
<p><b>Note 1:</b> Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>		
<p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretions of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>		
(8)	(9)	
Not applicable.		Two years.

	<b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.			
	(10)			
	By direct recruitment.			
<b>Note :</b> “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.				
(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or				
(ii) with five years regular service in posts in level-4 in the pay matrix (Rs.25500- 81100); and				
(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits Column-7.”				
(11)	(12)			
Not applicable.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Deputy Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force 2. Commandant : Member; Border Security Force 3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force			
(13)				
Not applicable.				
(1)	(2)	(3)		
8.Assistant Sub-Inspector (Dental Technician).	08*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).		
(4)	(5)	(6)		
Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	Not exceeding twenty-five years of age.  The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.  <b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.		
(7)				
<b>Essential qualification:-</b>				
(a) (i) 12 <sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and				
(ii) diploma in Dental Hygienist for a duration of two years from an institution recognised by the Central Government or State Government and registered with Dental Council of India; and				
(b) working experience of duration of minimum one year in Dental Unit of a hundred bedded hospital or institution recognised by the Central Government or any State Government.				

**Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years.  <b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)
By direct recruitment.

**Note :** “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with five years regulars service in posts in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100); and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7.”

(11)	(12)
Not applicable.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :  1. Deputy Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force  2. Commandant : Member; Border Security Force  3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force

(13)
Not applicable.

(1)	(2)	(3)
9. Assistant Sub-Inspector (Operation Theatre Technician).	08*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).

(4)	(5)	(6)
Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	<p>Not exceeding twenty-five years of age.</p> <p>The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam,</p>

		Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
--	--	--

(7)

**Essential qualification:-**(a) (i) 12<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and

(ii) diploma course of two years duration in Operation Theatre Technology/ Technician from an Institution recognised by the Central Government or State Government; and

(b) working experience of duration of minimum one year as Operation Theatre Technician in a minimum hundred bedded hospital or institution recognised by the Central Government or any State Government.

**Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years.

**Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)

By direct recruitment.

**Note :** “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with five years regular service in posts in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100); and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7.”

(11)	(12)
Not applicable.	<p>Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <p>1. Deputy Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force</p> <p>2. Commandant : Member; Border Security Force</p> <p>3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force</p>

(13) Not applicable.		
(1)	(2)	(3)
10. Assistant Sub-Inspector (Steward).	02*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10) By promotion.		
(11)	(12)	
<b>By promotion:</b>  From amongst Head Constable (Steward) who have rendered five years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100); and  shall have successfully completed Basic Recruit Training as prescribed at entry level.  <b>Note:</b> - Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :  1. Deputy Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force  2. Commandant : Member; Border Security Force  3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force	
(13) Not applicable.		
(1)	(2)	(3)
11. Head Constable (Steward).	08*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	Not exceeding twenty-five years of age.  The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.  <b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of

		application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
(7)		

Essential qualification:-

(a)(i) 12<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and

(ii) diploma of minimum two years duration in Catering and Kitchen Management from an institution recognised by the Central Government or State Government, and;

(b) working experience of minimum one year as a Steward in a minimum hundred bedded hospital or institute recognised by Central Government or any State Government.

**Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years.  <b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field to direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)
By direct recruitment.

**Note :** “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with five years regular service in posts in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100); and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7.”

(11)	(12)
Not applicable.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :  1. Chief Medical Officer (Selection Grade) :Chairperson; Border Security Force

	2. Second-in-Command Border Security Force	: Member;
	3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force	
(13)		
Not applicable.		
(1) 12. Assistant Sub-Inspector (Electronic Cardio Graphics Technician).	(2) 01*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	(3) General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4) Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	(5) Not applicable.	(6) Not exceeding twenty-five years of age.  The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.  <b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
(7)		

**Essential qualification:-**

(a)(i) 12<sup>th</sup> Class passed with Science as subject from a recognised Board; and

(ii) diploma in Electronic Cardio Graphics Technology of two years duration from an institution recognised by the Central Government or a State Government; and

(b) working experience of minimum one year of handling Cardiac equipments like twelve channel, Electronic Cardio Graphics (ECG), Cardiac monitor, Echo, Defibrillator, Treadmill test (TMT) and Holter Machine in a hundred bedded hospital in Medicine or Cardiology recognised by Central Government or any State Government.

**Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8) Not applicable.	(9) Two years.
<b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training	

	for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	
	(10)	
	By direct recruitment.	
<b>Note :</b> “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,-		
(a)(i) holding analogous posts on regular basis; or		
(ii) with five years regular service in posts in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500- 81100); and		
(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7.”		
(11)	(12)	
Not applicable.	<p>Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <p>1. Deputy Inspector General (Medical) : Chairperson; Border Security Force</p> <p>2. Commandant, : Member; Border Security Force</p> <p>3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force</p>	
	(13)	
Not applicable.		
(1)	(2)	(3)
13. Assistant Sub-Inspector (Electrician).	01*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
	(10)	
Composite method by deputation (including short-term contract)/promotion.		
(11)	(12)	
Composite method by deputation (including short-term contract)/promotion:  Officers of Central Armed Police Forces or Central Government or State Governments or Union Territories:	Not applicable.	
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
(ii) with five years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) in the parent cadre or department; and		

<p>(b)possessing the following educational qualifications:-</p> <p>(i) 12<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and</p> <p>(ii) diploma course of minimum one year duration in Electrician's Trade from an Institution recognised by the Central Government or a State Government or an Industrial Training institute; and</p> <p>(iii) experience of minimum five years as Electrician in a minimum hundred bedded hospital or institute recognised by the Central Government or any State Government.</p> <p>(c) shall be medically fit in all respects.</p> <p><b>Note-1:</b> The departmental Head Constable (Electrician) with five years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) shall be considered alongwith outsiders and in case the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note-2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p><b>Note-3:</b> The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p>	
--	--

(1)	(2)	(3)
14.Head Constable (Electrician).	01*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	<p>Not exceeding twenty-five years of age.</p> <p>The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p>
		<p><b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of</p>

		application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
--	--	---

(7)

**Essential qualification:** -

- (a)(i) 12<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and
- (ii) diploma course of minimum one year in Electrician's Trade from an institution recognised by Central Government or any State Government or from an Industrial Training institute; and,
- (b) experience of minimum one year as Electrician in a minimum hundred bedded hospital or institute recognised by Central Government or any State Government.

**Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years.  Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)

By direct recruitment.

**Note :** “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,-

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with five years regular service in posts in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700- 69100); and
- (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7.”

(11)	(12)
Not applicable.	<p>Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <p>1. Chief Medical Officer (Selection Grade) : Chairperson; Border Security Force</p> <p>2. Second-in-Command : Member; Border Security Force</p> <p>3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force</p>

(13)		
Not applicable		
(1)	(2)	(3)
15. Assistant Sub-Inspector (Air Conditioner Plant Technician).	01*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Not applicable.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10)		
Composite method by deputation (including short-term contact)/ promotion.		
(11)	(12)	
Composite method by deputation (including short-term contact)/ promotion :	Not applicable.	
Officers of the Central Armed Police Forces or the Central Government or the State Government or the Union Territory:		
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or		
(ii) with five years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in the parent cadre or department; and		
(b) possessing the following educational qualifications:-		
(i) 12 <sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and		
(ii) diploma of duration of minimum one year in Refrigeration and Air-Conditioning from Industrial Training institute or Government Institution or Private institution recognised by the Central Government or State Government ; and,		
(iii) experience of minimum five years as Air Conditioner Plant Technician in a minimum hundred bedded hospital or institute recognised by the Central Government or State Government or Force Hospital.		
(c) Shall be medically fit in all respects.		
<b>Note-1:</b> The departmental Head Constable (Air Conditioner Plant Technician) with five years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) shall be considered alongwith outsiders and in case the departmental candidate is selected for		

<p>appointment to the post, it shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note-2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p><b>Note-3:</b> The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p>		
	(13)	
Not applicable.		
(1)	(2)	(3)
16. Head Constable (Air Conditioner Plant Technician).	01*(2026). *Subject to variation dependent on Workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	<p>Not exceeding twenty-five years of age.</p> <p>The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p>
(7)		
<p><b>Essential qualification:-</b></p> <p>(a) (i) 12<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and</p> <p>(ii) diploma of duration of minimum one year in Refrigeration and Air-Conditioning from Industrial Training institute or Government institution or Private institution recognised by the Central Government or any State Government; and</p> <p>(b) experience of minimum one year as Air Conditioner Plant Technician in a minimum hundred bedded hospital or institute recognised by the Central Government or any State Government.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p>		

**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years.

**Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)
By direct recruitment.

**Note :** “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with five years regular service in posts in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100); and  
 (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7.”

(11)	(12)
Not applicable.	<p>Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <p>1. Chief Medical Officer (Selection Grade) : Chairperson;            Border Security Force</p> <p>2. Second-in-Command : Member;            Border Security Force</p> <p>3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member.            Border Security Force</p>

(13)		
Not applicable.		
(1)	(2)	(3)
17. Assistant Sub-Inspector (Dialysis Technician).	01*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Selection.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)  
 By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)
<p><b>By promotion:</b> -</p> <p>From amongst Head Constable (Dialysis Technician) who have rendered five years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100); and</p> <p>shall have successfully completed Basic Recruit Training as prescribed at entry level.</p>	<p>Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>1. Deputy Inspector General (Medical) : Chairperson;            Border Security Force</p> <p>2. Commandant, : Member;            Border Security Force</p> <p>3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member.</p>

<p><b>Note:</b> - Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Armed Police Forces or the Central Government or a State Government or a Union Territory:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</li> <li style="margin-left: 2em;">(ii) with five years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in the parent cadre or department; and</li> <li>(b) possessing the following educational qualifications: - <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 12<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and</li> <li style="margin-left: 2em;">(ii) diploma of minimum one year duration in Dialysis Technician from an institution recognised by the Central Government or a State Government; and</li> <li style="margin-left: 2em;">(iii) experience of minimum five years as a Dialysis Technician in a Dialysis Centre or a minimum hundred bedded hospital or institute recognised by the Central Government or any State Government.</li> </ul> </li> <li>(c) shall be medically fit in all respects.</li> </ul> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or a Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p>	<p>Border Security Force</p>
--	------------------------------

<p><b>Note 3:</b> The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
(13)		
Not applicable.		
(1)	(2)	(3)
18.Head Constable (Dialysis Technician).	03*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	<p>Not exceeding twenty-five years of age.</p> <p>The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p>
(7)		
<p><b>Essential qualification:-</b></p> <p>(a) (i) 12<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and</p> <p>(ii) diploma of minimum one year duration in Dialysis Technician from an Institution recognised by the Central Government or a State Government; and</p> <p>(b) experience of minimum one year as a Dialysis Technician in a Dialysis Centre or a minimum hundred bedded hospital or institute recognised by the Central Government or any State Government.</p>		
<p><b>Note 1:</b> Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>		
(8)	(9)	
Not applicable.	Two years.	

	Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	
	(10)	
	By direct recruitment.	
<b>Note :</b> “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,-		
(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or		
(ii) with five years regular service in posts in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700- 69100); and		
(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7.”		
(11)	(12)	
Not applicable.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :	
	1. Chief Medical Officer (Selection Grade) : Chairperson; Border Security Force	
	2. Second-in-Command : Member; Border Security Force	
	3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force	
(13)	Not applicable.	
(1)	(2)	(3)
19. Head Constable (Dresser).	01*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.	Not applicable.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10)	Composite method by deputation (including short-term contract)/ Promotion.	
(11)	(12)	
Composite method by deputation (including short-term contract)/ promotion:	Not applicable.	
Officers of the Central Armed Police Forces or the Central Government or the State Government or the Union Territory:		
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) in the parent cadre or department; and		
(b) possessing the following educational qualifications: -		

<p>(i) 10<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and</p> <p>(ii) First Aid Certificate from St. John Ambulance Organisation or Red Cross Society of India; and</p> <p>(iii) working experience of minimum five years in bandage and dressing of wounds in a minimum fifty bedded hospital or institution recognised by the Central Government or any State Government.</p> <p>(c) shall be medically fit in all respects.</p> <p><b>Note-1:</b> The departmental Constable (Dresser) with five years regular service in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) shall be considered alongwith outsiders and in case the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be deemed to have been filled by promotion.</p> <p><b>Note-2:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p><b>Note-3:</b> The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p>		
(13)		
Not applicable.		
(1)	(2)	(3)
20. Constable (Dresser).	01*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100).	Not applicable.	<p>Not exceeding twenty-five years of age.</p> <p>The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,</p>

		Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
--	--	--

(7)

**Essential qualification:-**

- (a) (i) 10<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and  
(ii) First Aid certificate from St. John Ambulance Organization or Red Cross Society of India; and  
(b) working experience of minimum one year in bandage and dressing of wounds in a minimum fifty bedded hospital or Institution recognised by the Central Government or any State Government.

**Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years. <b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)

By direct recruitment.

**Note :** “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,-

- (a) holding analogous posts on regular basis; and  
(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7.”

(11)	(12)
Not applicable.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :  1. Chief Medical Officer (Selection Grade) : Chairperson; Border Security Force  2. Second-in-Command : Member; Border Security Force  3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
21. Head Constable (Ward Boy/Ward Girl/Aya).	07*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Selection.	Not applicable.

(7) Not applicable.	(8) Not applicable.	(9) Not applicable.
(10) By promotion.		
(11) <b>By promotion:-</b>  From amongst Constable (Ward Boy/Ward Girl/Aya) who have rendered five years regular service in the level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100); and  shall have successfully completed Basic Recruit Training as prescribed at entry level.  <b>Note:</b> - Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(12) Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :  1.Chief Medical Officer (Selection Grade) : Chairperson; Border Security Force  2. Second-in-Command : Member; Border Security Force  3.Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force	
(13) Not applicable.		
(1) 22 CONSTABLE (WARD BOY/ WARD GIRL/ AYA).	(2) 25*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	(3) General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4) Level- 3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100).	(5) Not applicable.	(6) Not exceeding twenty-five years of age.  The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.  <b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

(7)

**Essential qualification:-**

- (a) (i) 10<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and  
(ii) First Aid Certificate from St. John's Ambulance Organisation or Red Cross Society of India; and
- (b) (i) working experience of minimum one year as a Ward Boy or Ward Girl or Aya in a minimum fifty bedded hospital or institute recognised by Central Government or any State Government.
- (ii) multi-skilled candidates will be given preference.

**Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years.

**Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)
By direct recruitment.

**Note :** "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,-

(a) holding analogous posts on regular basis; and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7."

(11)	(12)
Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <p>1. Chief Medical Officer (Selection Grade) : Chairperson; Border Security Force</p> <p>2. Second-in-Command : Member; Border Security Force</p> <p>3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force</p>

(13)		
Not applicable.		
(1)	(2)	(3)
23. Head Constable (Table Boy).	02*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)		
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.		
(10)				
By promotion.				
(11)	(12)			
<b>By promotion:</b>  From amongst Constable (Table Boy) who have rendered five years regular service in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100); and  shall have successfully completed Basic Recruit Training as prescribed at entry level.	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chief Medical Officer (Selection Grade) : Chairperson; Border Security Force</li> <li>2. Second-in-Command : Member; Border Security Force</li> <li>3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force.</li> </ol>			
<b>Note:</b> - Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.				
(13)				
Not applicable.				
(1)	(2)	(3)		
24. Constable (Table Boy).	08*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).		
(4)	(5)	(6)		
Level- 3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100).	Not applicable.	Not exceeding twenty-five years of age.  The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. <b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.		
(7)				
<b>Essential and other qualification:</b>				
(a) 10 <sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and				

- (b) (i) one year certificate course from a recognised Industrial Training institute or vocational Institute with at least one year experience in the trade; or
- (ii) two years diploma from a recognised Industrial Training institute in the trade or similar trade.
- (iii) multi-skilled candidates will be given preference.

**Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years.  Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)	By direct recruitment.
<b>Note :</b> “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,-	

- (a) holding analogous posts on regular basis; and  
 (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7.”

(11)	(12)
Not applicable.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1.Chief Medical Officer (Selection Grade) : Chairperson; Border Security Force 2. Second-in-Command : Member; Border Security Force 3.Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force

(13)	Not applicable.	
(1)	(2)	(3)

25. Head Constable (Masalchi).	04*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
--------------------------------	--	---

(4)	(5)	(6)
Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	By promotion.	
(11)	(12)	

<b>By promotion:</b>  From amongst Constable (Masalchi) who have rendered five years regular service in	Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :  1.Chief Medical Officer (Selection Grade) : Chairperson; Border Security Force
---	---

<p>the level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100); and</p> <p>shall have successfully completed Basic Recruit Training as prescribed at entry level.</p> <p><b>Note:</b> - Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>2. Second-in-Command Border Security Force : Member;</p> <p>3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force</p>	
<p>(13)</p> <p>Not applicable.</p>		
(1)	(2)	(3)
26. Constable (Masalchi).	18*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100).	Not applicable.	<p>Not exceeding twenty-five years of age.</p> <p>The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p>
<p>(7)</p> <p><b>Essential and other qualifications:</b></p>		
<p>(a) 10<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board; and</p> <p>(b) (i) one year certificate course from a recognised Industrial Training institute or vocational Institute with at least one year experience in the trade; or</p> <p>(ii) two year diploma from a recognised Industrial Training institute in the trade or similar trade.</p> <p>(iii) multi-skilled candidates will be given preference.</p>		

**Note 1:** Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)
Not applicable.	Two years. <b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

(10)  
By direct recruitment.

**Note :** “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,-

(a) holding analogous posts on regular basis; and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7.”

(11)	(12)
Not applicable.	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :  1. Chief Medical Officer (Selection Grade) : Chairperson; Border Security Force  2. Second-in-Command : Member; Border Security Force  3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force

(13)

Not applicable.

(1)	(2)	(3)
27. Head Constable (Peon).	06*(2026). *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).
(4)	(5)	(6)
Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Selection.	Not applicable.

(7)

Not applicable.

(8)

(9)

Not applicable.

(10)

By promotion.

(11)	(12)
<b>By promotion:-</b>  From amongst Constable (Peon) who have rendered five years regular service in the level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) and ;	Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :  1. Chief Medical Officer (Selection Grade) : Chairperson; Border Security Force  2. Second-in-Command : Member; Border Security Force

<p>shall have successfully completed Basic Recruit Training as prescribed at entry level.</p> <p><b>Note:</b> - Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>3.Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force</p>			
(13)				
Not applicable.				
(1)	(2)	(3)		
28. Constable (Peon).	26*(2026). *Subject to variation dependent on Workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).		
(4)	(5)	(6)		
Level- 3 in the pay matrix (Rs.21700-69100).	Not applicable.	<p>Not exceeding twenty-five years of age.</p> <p>The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.</p> <p><b>Note:-</b> The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from candidates of various States and Union territories and not the closing date prescribed for those in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territories of Ladakh and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.</p>		
(7)				
<b>Essential qualification :-</b>				
<p>(i) 10<sup>th</sup> Class passed from a recognised Board.</p> <p>(ii) multi-skilled candidates will be given preference.</p>				
<p><b>Note 1:</b> Qualification is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>				
(8)	(9)			
Not applicable.	Two years.			

	<b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration in relevant field for direct recruits after basic training for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.
	(10) By direct recruitment.
	<b>Note :</b> “Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column-7.”
(11)	(12)
Not applicable.	<p>Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chief Medical Officer (Selection Grade) : Chairperson; Border Security Force</li> <li>2. Second-in Command : Member; Border Security Force</li> <li>3. Senior Medical Officer or Medical Officer : Member. Border Security Force</li> </ol>
	(13) Not applicable.

[F. No. C-17/04/2023/Pers-Confdl/BSF]

SHIV LAHRI MEENA, Under Secy.